न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./22/2019/बाड़मेर

अपीलांट

1. देसकंवर पत्नी खेतसिंह
2. तंवरकंवर पत्नी रामसिंह जाति राजपूत निवासी नया सोमेसरा तहसील बायतु जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.छोगाजी पुत्र भूरजी
2.गुमानजी पुत्र भुरजी
3.अमरसिंह पुत्र मुकनसिंह
4.चनणसिंह पुत्र मुकनसिंह
5.राजू पुत्र सरदार जातियान पुरोहित निवासी नया सोमेसरा तहसील बायतु जिला बाड़मेर
6.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बायतु जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 571/2009 बअनवान छोगाजी वगै. बनाम अमरसिंह वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.01.2019 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री डूंगरसिंह महेचा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री मोहनलाल विश्नोई रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 09.06.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा नया सोमेसरा पटवार हल्का नौसर में खेत खसरा नम्बर 297 रकबा 93.04 बीघा आई हुई है। जिसमें जागीरीकाल से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के पूर्व पुरूषों का कब्जा काश्त था, वक्त सेटलमेंट पर्चा लगान जारी होते समय वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पूर्वज भूरजी, सरदाराजी व लाधाजी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त था एवं एक ही परिवार में निवास करते थे लेकिन तत्समय वादीगण के पिता भूरजी के बाहर होने से पर्चा लगान लाधाजी व सरदाराजी के नाम का जारी हो गया। बंदोस्त के लम्बे समय बाद भूरजी लाधाजी एवं सरदाराजी संयुक्त रूप से कब्जा काश्त करते रहे। संयुक्त परिवार में रहने एवं संयुक्त रूप से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त होने से वादीगण के पिता भूरजी तथा उसके पश्चात वादीगण को वादग्रस्त भूमि की खातेदारी में भूरजी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने की जानकारी नहीं हो पाई। वादग्रस्त खसरा की भूमि भूरजी, लाधाजी एवं सरदाराजी की संयुक्त भूमि है, सोमेसरा के तत्कालीन जांगीरदार ने इन तीनों को ही भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

काश्त के लिये दी थी इस कारण वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 1/3 वां हिस्सा है इसलिये वादीगण 1/3 वां हिस्सा की भूमि अपने खातेदारी अधिकारों में दर्ज करवाने का अधिकार है। वादग्रस्त खेत खसरा नम्बर 297 रकबा 93.04 बीघा भूमि के अलावा अन्य भूमियों में भी वादीगण का प्रत्येक खसरा में 1/3 वां हिस्सा दर्ज है तथा वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त निर्विवाद रूप से वक्त सेटलमेंट के पूर्व से आज दिन तक लगातार चला आ रहा है इसलिये वादीगण अपने हिस्से की घोषणा करवाने के अधिकारी है इस आशय का दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विरूद्ध है जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांटगण ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट संख्या 01 द्वारा अपनी और से पैरवी करने हेतु अधिवक्ता रिणछाराम सियाग को नियुक्त किया गया, जिस पर अधिवक्ता ने अपीलांट की ओर से निष्पक्ष पैरवी करने हेतु आश्वासन दिया परन्तु बाद में अपीलांट संख्या 01 के अधिवक्ता ने उत्तरदाता संख्या 01 व 02 के साथ दुरभिसंधि करते हुऐ दिनांक 10.12.2018 को No Interception Plead करते हुऐ अपीलांट संख्या 01 की ओर से पैरवी करना बंद कर दिया जिस संबंध में अधिवक्ता ने अपने पक्षकार अपीलांट संख्या 01 को कोई जानकारी नहीं दी गई तथा न ही अधीनस्थ न्यायालय ने इस संबंध में कोई नोटिस या सूचना अपीलांट संख्या 01 को नहीं दी गई तथा अपीलांट संख्या 01 को समुचित रूप से सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आनन फानन में अपीलाधीन एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया। अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी की सदभावी क्रेता है उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित की गई। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि मौजा नया सोगेसरा पटवार हल्का नौसर में खेत खसरा नम्बर 297 रकबा 93.04 बीघा आई हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जिसमें जागीरीकाल से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के पूर्व पुरूषों का कब्जा काश्त था, वक्त सेटलमेंट पर्चा लगान जारी होते समय वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पूर्वज भूरजी, सरदाराजी व लाधाजी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त था एवं एक ही परिवार में निवास करते थे लेकिन तत्समय वादीगण के पिता भूरजी के बाहर होने से पर्चा लगान लाधाजी व सरदाराजी के नाम का जारी हो गया। बंदोस्त के लम्बे समय बाद भूरजी लाधाजी एवं सरदाराजी संयुक्त रूप से कब्जा काश्त करते रहे। वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 297 रकबा 93.04 बीघा भूमि के अलावा अन्य भूमियों में भी वादीगण का प्रत्येक खसरा में 1/3 वां हिस्सा दर्ज हैं। तथा वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त निर्विवाद रूप से वक्त सेटलमेंट के पूर्व से आज दिनांक लगातार चला आ रहा है। अपीलांट ने अपीलाधीन आराजी को दौराने दावे क्रय कर दावे में पक्षकार बनी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट संख्या 01 द्वारा अपनी ओर से पैरवी करने हेतु अधिवक्ता श्री रिणछाराम सियाग को नियुक्त किया गया, लेकिन अपीलांट संख्या 01 के अधिवक्ता ने दिनांक 10.12.2018 को No Interception Plead करते हुऐ अपीलांट संख्या 01 की ओर से पैरवी करना बंद कर दिया जिस संबंध में अधिवक्ता ने अपने पक्षकार अपीलांट संख्या 01 को कोई जानकारी नहीं दी गई तथा न ही अधीनस्थ न्यायालय ने इस संबंध में कोई नोटिस या सूचना अपीलांट संख्या 01 को दी गई। अपीलांट अपीलाधीन आराजी की सदभावी क्रेता है जिसको सुनवाई का अवसर दिया जाना लाजमी है जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उल्लंघन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 571/2009 बअनवान छोगाजी वगै. बनाम अमरसिंह वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.01.2019 को अपास्त किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय हस्तगत वाद का निर्णय दो माह में पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.08.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिभा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 09.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर